# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

**पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)**

**निर्णय**

प्रकरण सख्या : 66/2020

बउनवानः—

नारायण उर्फ रामकरण पुत्र श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी मूण्डिया तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0डी0एक्ट0**

वकील वादी : श्री विकास पोरवाल

निर्णय दिनांक : 19.04.2021

दायरा दिनांकः 26.08.2020

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 14 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 306 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 8 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 0.67 है0 ग्राम मूण्डिया तह0 मांगरोल में व आराजी खाता संख्या 33 खसरा नं0 25/377 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 46 रकबा 0.85 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जडावदिया तहसील मांगरोल में स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत 2075—78 में वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम नारायण पुत्र बद्रीलाल दर्ज हो रहा है। वादी के अन्य दस्तावेजो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, रेकार्ड में वादी का नाम रामकरण पुत्र बद्रीलाल दर्ज हो रहा है। वादी को रामकरण व नारायण के नाम से जानते है तथा नारायण व रामकरण एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 44 व 33 में अपना नाम नारायण पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर नारायण उर्फ रामकरण पुत्र बद्रीलाल दर्ज करवाना चाहता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में नारायण दर्ज होने से व अन्य दस्तावेजो में रामकरण दर्ज होने से वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा हे। इसलिए वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में नारायण उर्फ रामकरण पुत्र बद्रीलाल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 14 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 306 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 8 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 0.67 है0 ग्राम मूण्डिया तह0 मांगरोल में व आराजी खाता संख्या 33 खसरा नं0 25/377 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 46 रकबा 0.85 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जडावदिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में नारायण पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर नारायण उर्फ रामकरण पुत्र बद्रीलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

3. यह कि वादी के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान—पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, रिकार्ड में वादी का

Scanned with CamScanner

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 26.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2021/158 दिनांक 16.03.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम मूण्डिया में वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 44 पर दर्ज आराजी खसरा नं0 14 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 306 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 8 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 0.67 है0 ग्राम मूण्डिया तह0 मांगरोल में व आराजी खाता संख्या 33 खसरा नं0 25/377 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 46 रकबा 0.85 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जडावदिया तहसील मांगरोल में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र बद्रीलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मुताबिक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र बद्रीलाल दर्ज है। अतः सही नाम रामकरण गूर्जर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 19.04.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन-कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि से भी वादी का नाम रामकरण पुत्र बद्रीलाल जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में स्वयं के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 19.04.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम मूण्डिया में वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 44 पर दर्ज आराजी खसरा नं0 14 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 306 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 8 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 0.67 है0 ग्राम मूण्डिया तह0 मांगरोल में व आराजी खाता संख्या 33 खसरा नं0 25/377 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 46 रकबा 0.85 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जडावदिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम नारायण पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर नारायण उर्फ रामकरण पुत्र बद्रीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner